

प्र० 24क  
(नियम 85ख देखिए)

यह प्रस्तुत आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए । ]

1. राजनैतिक दल का नाम : - पृथक बस्तर राज्य पार्टी
2. राजनैतिक दल की प्रास्तिति - अपमान्यता प्राप्त (मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त) :
3. राजनैतिक दल के मुख्यालय का पता - सीनियर सच. प्राई. जी. 8, सेक्टर 3, शंकर नगर, रायपुर
4. निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल के - पंजी. क्र. 56/148/2002 - J.S.III दि. 03-03-2004 रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
5. स्थायी खाता सं.(पेन) और वह आय-कर वार्ड/ सर्किल जहां राजनैतिक दल की विवरणी फाइल - स्थायी खाता नहीं । अधिकर कार्यालय की रसीद की जानी है..... अधिकर वार्ड - अधिकर विभाग रायपुर
6. वित्तीय वर्ष 200 -200 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक हैं, वौरे -

क्रम सं.	अभिदायी व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड / सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति। (चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां
			रिकॉर्ड		कानूनी प्रशंसन
					नहीं लिया गया

\* चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है ।

X 7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए) ।

मैं, पीलू पट्टावी (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ मुत्री..... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रस्तुत में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है ।

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं, ऊपर नामित राजनैतिक दल की ओर से ..... पृथक बस्तर की अपनी हेसियत में इस प्रस्तुत को सत्यापित कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूं ।

तारीख : 17-09-15

स्थान : रायपुर

(कोषाध्यक्ष/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

पी. पट्टावी

अध्यक्ष

पृथक बस्तर राज्य पार्टी  
(पंजी. क्र. 56/148/2002)

रायपुर (छ.ग.)

<sup>1</sup> अधिसूचना सं. का० आ० 1283 (अ), तारीख 10 नवंबर, 2003 द्वारा अंतःस्थापित ।